तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म जारी हुक्म
२५/११/२५	पत्रावली पेश हुई। दावा वादी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया है। [illegible] कैफियत मुताबिक [illegible] नोबत से कम होकर [illegible] रिकार्ड हो। आदेश सुनाया गया।	
	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.04.22 14:50:18 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना (आर.ए.एस)

उनवान

सरवन पुत्र मांग्या उम्र 43 साल जाति हरिजन निवासी करौली जिला करौली राज0

बनाम

1. सफेदी पत्नी चौथी
2. अशोक
3. पप्पू
4. महेश — पिसरान चौथी
5. मुन्नी
6. शावो — पुत्रीयान चौथी

(1 से 6) जाति कोली निवासी वजीरपुर दरवाजा के पास करौली जिला करौली राज0

7. तहसीलदार तहसील करौली लैण्ड होल्डर

दावा बावत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 50/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री अबरार अहमद, एडवाकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री नवल किशोर शर्मा, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत ....
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24/11/25 को सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली (राज.)

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meen
Date: 2026.04.22 14:50:18 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली (राज.)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0ः—50 / 17 तारीख रजुः—22.11.2017

उनवान

सरवन पुत्र मांग्या उम्र 43 साल जाति हरिजन निवासी करौली जिला करौली राज0

बनाम

1. सफेदी पत्नी चौथी
2. अशोक
3. पप्पू
4. महेश
5. मुन्नी
6. शावो
7. तहसीलदार तहसील करौली लैण्ड होल्डर

(2–4) पिसरान चौथी; (5–6) पुत्रीयान चौथी; (1–6) जाति कोली निवासी वजीरपुर दरवाजा के पास करौली जिला करौली राज0

दावा बावत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा

—::निर्णय::— दिनांकः— 24/11/25

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 4816 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा कस्बा करौली मुझ वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की स्थित है मैं वादी इस जमीन में मय गृहस्थी के रह रहा हूं और जमीन को काश्त कर रहा हूं। उक्त जमीन से प्रतिवादीगण का कोई ताल्लुक नही है ना ही जमीन पर काबिज है दिनांक 5/11/08 को प्रतिवादीगण ने जमीन पर आकर कहां कि जमीन की खातेदारी हमारे पिता/पति चौथी के नाम है हम तुम्हें जबरन ताकत के बल पर बेदखल करेंगे व जमीन को अन्ध लोगों को बेचकर तुम्हें बेदखल करेंगे तथा जमीन में प्लांटिंग करेंगे और निर्माण कार्य करायेंगे, प्रतिवादीगण द्वारा धमकी देने पर वादी ने नकल जमातंदी देखी तो फर्जकारी का पता चला है मुझ वादी द्वारा जमीन का चौथ्या के हक में ना तो बेचान किया है ना ही किसी अन्य तरह चौथ्या को हस्तान्तरण की है गलत तरीके से मेरी बिना जानकारी के रेवन्यू कर्मचारियों के मिलकर मेरे नाम को हटाकर अपना नाम जमाबन्दी में इन्द्राज करा लिया है मैं गरीब अनपढ गंवार हरिजन हूं मुझे इस फर्जकारी की नकल मिलने पर पता चला है। प्रतिवादीगण द्वारा ऐलानिया मेरे हकूक खातेदारी से इन्कार किया है इसलिये वादी आराजी मुतनाजा का खातेदारी काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण ने मुझ वादी को जबरन जमीन से बेदखल करने की धमकी दे दी है और जमीन को रहन वय करने व

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.04.22 14:50:18 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

प्लाटिंग करने पर उतारू है इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है कि वह मेरे कब्जे में किसी तरह की मदाखलत मजाहमत नहीं करे ना ही किसी से करावे मुझे शांति पूर्वक काबिज रहने दे जमीन को हरन व यनहीं करे ना ही रहन वयनामा पंजीयन कराये ना ही पंजीयन करें। विनाय मुखासमत दिउनांक 5/11/08 को प्रतिवादीगण द्वारा जबरन बेदखल करने व खाते के आधार पर नहन वय करने प्लांटिंग करने की धमकी देने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई अदालत हाजा को दावा सुनवाई का अधिकार क्षेत्र हासिल है। वादी को आराजी खसरा नम्बर 7816 रकवा 1 बीघा 15 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। अंत दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 ने जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 4816 रकवा 1 बीघा 15 बिस्वा वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की नही है वादी उक्त जमीन में मय गृहस्थी नहीं रहता है ना ही वादी जमीन को काश्त करता है वादी ने सम्पूर्ण तथ्य मिथ्या दर्ज किये है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 4816 रकवा 1 बीघा 15 बिस्वा हम प्रतिवादीगण के एक मात्र खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है जिसे प्रतिवादीगण के पिता/पति चौथी ने दिनांक 9/11/78 को वादी से जरीये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र 4000/–रूपये में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। चौथी की मृत्यू हो चुकी है और प्रतिवादीगण चौथी के वारिसान की हैसियत से विवादित आराजी पर काबिज काश्त है वादी का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है विस्तृत तथ्य विशेष तथ्य विशेष विवरण में दर्ज हैं। विवादित आराजी प्रतिवादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिन पर प्रतिवादीगण वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है जो वादी की जानकारी में प्रारम्भ से ही है। वादी का यह कथन पूर्णतः गलत है कि दिनांक 5/11/08 को प्रतिवादीगण ने जमीन पर आकर कंहा कि जमीन की खातेदारी हमारे पिता/पति चौथी के नाम है हम जबरन ताकत के बल पर बेदखल करेंगे व जमीन को अन्य लोगों को ... कर तुम्हें बेदखल करेंगे जमीन में प्लांटिंग करेंगे और निर्माण कार्य करेंगे प्रतिवादीगण द्वारा धमकी देने पर नकल जमाबन्दी देखी तो फर्जकारी का पता चला। विवादित आराजी को वादी सरवन ने अपनी प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती ललता पत्नी मांग्या के जरीये अपनी जरूरी अपनी जायज आवश्यकता के लिये दिनांक 9/11/78 को जरीये रजिस्टर्ड विक्रय पपत्र 4000/–रूपये में विक्रय कर कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj
Date: 2026.04.22 14:50:18 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज॰)

संभलवाया है जो विक्रय के दिवस से ही वादी की जानकारी में है और प्रतिवादीगण विक्रय के दिवस से विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। चौथी के हक में नामान्तकरण विक्रय पत्र के आधार पर विधि अनुसार खोला गया है। वादी अपने आपको विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी नहीं है। अतः दावा वादी खारिज किया जावे।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गये हैः–

1. आया विवादित आराजी ख0 न0 4816 रकवा 1 वीघा 15 विस्वा स्थित कस्वा करौली वादी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी है। वादी, प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

––वादी

2. आया विवादित आराजी ख0नं0. 4816 रकवा 1 बीघा 15 विस्वा स्थित कस्बा करौली को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र खरदी किया है। विक्रयपत्र को निरस्त करने का क्षेत्राअधिकार न्यायालय हाजा हो नही है। दावा खारिज है।

––प्रतिवादीगण

3. **अनुतोष :–**

वाद विवाद्यक वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ–पत्र वादी संता का दिनांक 8.2.2022 को प्रस्तुत किया गया। परन्तु वादी को जिरह के लिये कई अवसर प्रदान किये गये। तत्पश्चात् वादी जिरह के लिए उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 3.10.2025 को साक्ष्य वादी बंद की गई। तत्पश्चात पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादीगण में नियत की गई। प्रतिवादीगण द्वारा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 10.11.2025 को साक्ष्य प्रतिवादीगण बंद की गई।

बहस वकील सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादीगण का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 4816 रकबा 1 बीघा 15 विस्वा कस्बा करौली मुझ वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की स्थित है मैं वादी इस जमीन में मय गृहस्थी के रह रहा हूं और जमीन को काश्त कर रहा हूं। उक्त जमीन से प्रतिवादीगण का कोई ताल्लुक नहीं है [illegible] जमीन पर काबिज है दिनांक 5/11/08 को प्रतिवादीगण ने [illegible] कहां कि जमीन की खातेदारी हमारे पिता/पति चौथी के नाम है हम तुम्हें जब [illegible] ताकत के बल पर बेदखल करेंगे व जमीन को अन्ध लोगों को बेचकर तु[illegible] बेदखल करेंगे तथा जमीन में प्लांटिंग करेंगे और निर्माण कार्य करायेंगे, प्रतिवादीगण द्वारा धमकी देने पर वादी ने नकल जमातंदी देखी तो फर्जकारी का पता चला है मुझ वादी द्वारा जमीन का चौथ्या के हक में ना तो बेचान किया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.04.22 14:50:18 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

ना ही किसी अन्य तरह चौथ्या को हस्तान्तरण की है गलत तरीके से मेरी बिना जानकारी के रेवन्यू कर्मचारियों के मिलकर मेरे नाम को हटाकर अपने नाम जमाबन्दी में इन्द्राज करा लिया है मैं गरीब अनपढ गंवार हरीजन हूं मुझे इस फर्जकारी की नकल मिलने पर पता चला है। प्रतिवादीगण द्वारा ऐलानिया मेरे हकूक खातेदारी से इन्कार किया है इसलिये वादी आराजी मुतनाजा का खातेदारी काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है। प्रतिवादीगण ने मुझ वादी को जबरन जमीन से बेदखल करने की धमकी दे दी है और जमीन को रहन वय करने व प्लाटिंग करने पर उतारू है इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है कि वह मेरे कब्जे में किसी तरह की मदाखलत मजाहमत नहीं करे ना ही किसी से करावे मुझे शांति पूर्वक काबिज रहने दे जमीन को हरन व यनहीं करे ना ही रहन वयनामा पंजीयन कराये ना ही पंजीयन करें। विनाय मुखासमत दिउनांक 5/11/08 को प्रतिवादीगण द्वारा जबरन बेदखल करने व खाते के आधार पर नहन वय करने प्लांटिंग करने की धमकी देने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई अदालत हाजा को दावा सुनवाई का अधिकार क्षेत्र हासिल है। वादी को आराजी खसरा नम्बर 7816 रकवा 1 बीघा 15 विस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। दावा वादी डिक्री किया जावे।

प्रतिवादी का बहस में कथन है कि आराजी खसरा नम्बर 4816 रकवा 1 बीघा 15 विस्वा वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त की नही है वादी उक्त जमीन में मय गृहस्थी नहीं रहता है ना ही वादी जमीन को काश्त करता है वादी ने सम्पूर्ण तथ्य मिथ्या दर्ज किये है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 4816 रकवा 1 बीघा 15 विस्वा हम प्रतिवादीगण के एक मात्र खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है जिसे प्रतिवादीगण के पिता/पति चौथी ने दिनांक 9/11/78 को वादी से जरीये रजिस्टर्ड विकय पत्र 4000/—रूपये में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। चौथी की मृत्यू हो चुकी है और प्रतिवादीगण चौथी के वारिसान की हैसियत से विवादित आराजी पर काबिज काश्त है वादी का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है विस्तृत तथ्य विशेष तथ्य विशेष विवरण में दर्ज हैं। विवादित आराजी प्रतिवादीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की है जिस पर प्रतिवादीगण वहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है जो वादी की जानकारी में प्रारम्भ से ही है। वादी का यह कथन पूर्णतः गलत है कि दिनांक 5/11/08 को प्रतिवादीगण ने जमीन पर आकर कंहा कि जमीन की खातेदारी हमारे पिता/पति चौथी के नाम है हम तुम्हें जबरन ताकत के बल पर बेदखल करेंगे व जमीनं को अन्य लोगों को बेचकर तुम्हें बेदखल करेंगे जमीन में प्लांटिंग करेंगे

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem R
Date: 2026.04.22 14:50:18
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

और निर्माण कार्य करेंगे प्रतिवादी द्वारा धमकी देने पर नकल जमाबंन्दी देखी तो फर्जकारी का पता चला है। विवादित आराजी को वादी सरवन ने अपनी प्राकृतिक संरक्षक माता श्रीमती ललता पत्नी मांग्या के जरीये अपनी जरूरी अपनी जायज आवश्यकता के लिये दिनांक 9/11/78 को जरीये रजिस्टर्ड विक्रय पपत्र 4000/–रूपये में विक्रय कर कब्जा संभलवाया है जो विक्रय के दिवस से ही वादी की जानकारी में है और प्रतिवादीगण विक्रय के दिवस से विवादित आराजी पर काबिज काश्त है। चौथी के हक में नामान्तकरण विक्रय पत्र के आधार पर विधि अनुसार खोला गया है। वादी अपने आपको विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी नहीं है। दावा वादी खारिज किया जावे।

बहस वकील सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रकरण में कोई मौखिक साक्ष्य जिरह नहीं कराने के कारण उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्शित नहीं कराया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी को खरीद करने का वयनामा दिनांक 9.11.1978 असल पत्रावली में प्रस्तुत किया गया है। वादी अपने वादपत्र को साबित करने में असफल रहा है। इस कारण दावा वादी चलने योग्य नहीं है और वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी प्रकार की दादरसी प्राप्त करने का हकदार नहीं है। दावा वादी साक्ष्य के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/11/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रेमराज मीना)
अधिकारी
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.04.22 14:50:18 IST
Reason: SelfAttested